

उत्तराखण्ड शासन  
श्रम अनुभाग  
संख्या: -- /VIII/20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1  
देहरादून: दिनांक 05 मई, 2020

अधिसूचना / संशोधन

वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव के कारण उत्पन्न लॉक-डॉउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं/दवाईयों की आपूर्ति के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमतियों एवं राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को खोलने की सशर्त अनुमतियों के मामलों में कारखानों को अतिकाल (Over time) कार्य करने हेतु कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए Public emergency के दृष्टिगत कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों को उक्त अधिनियम की धारा 51, 54, 55 तथा 56 में कतिपय शर्तों के अधीन अधिसूचना संख्या 286 / VIII / 20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1 दिनांक 28 अप्रैल 2020 द्वारा शिथिलता प्रदान की गई थी।

सम्यक विचारोपरांत उक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 28.04.2020 में निम्नानुसार संशोधन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अविरल प्रक्रिया वाले उद्योगों में उत्पादन इकाई हेतु प्रतिदिन 12-12 घंटे की दो पालियों में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें 04 घंटे प्रतिदिन ओवरटाइम के होंगे, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
2. इन दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 06 दिवस कार्य करेंगे और ओवरटाइम की सीमा प्रति सप्ताह 24 घंटे होगी।
3. किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जायेगा।
4. उक्त अधिसूचना पूर्व में जारी अधिसूचना की तिथि से ही मान्य होगी।

उपरोक्त संशोधन मात्र अविरल प्रक्रिया (continues process) वाले कारखानों पर ही प्रभावी होगा। वर्णित अधिसूचना दिनांक 28.04.2020 की अन्य शर्तें यथावत।

(हरबंस सिंह चुघ)  
सचिव

संख्या-294 / VIII / 20-91(श्रम)/2008 टी.सी.-1 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव प्रभारी, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. श्रमायुक्त उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.  
(देवेन्द्र सिंह चौहान)  
अनु सचिव